दूरभाष:26175246
फैक्सः 26191572

संख्या- 3 / 8 /2014/उ.नि.(मध्योत्तर)/ 4521-5520

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT.OF OFFICIAL LANGUAGE
हिंदी शिक्षण योजना
HINDI TEACHING SCHEME
उप निदेशक (मध्योत्तर) का कार्यालय
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR(NORTH CENTRAL)

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,नई दिल्ली-110066
East Block-7, Level-6, R.K.Puram, New Delhi-110066

दिनांक / Date: 17/10/14

सेवा में

कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक अधिकारी/हिंदी अधिकारी(राजभाषा)
भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/राष्ट्रीयकृत बैंक/उपक्रम/निगम/निकाय आदि,
दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ।

विषय :- <u>हिंदी शिक्षण योजना के अधीन जनवरी-मई, 2015 सत्र की हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन ।</u>

महोदय/महोदया,

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ कक्षाओं के प्रशिक्षण का नया सत्र सोमवार 01 जनवरी, 2015 पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारम्भ होगा । कृपया अपने कार्यालय के हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पत्र के अंत में दिए गए नमूने के अनुसार तैयार कर दो प्रतियों में इस कार्यालय में 15 दिसंबर, 2014 तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें ।

नवंबर, 2014 में प्रबोध तथा प्रवीण की परीक्षाओं में बैठने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अगली कक्षा के लिए नामित करें तथा नवंबर, 2014 की प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने वाले परीक्षार्थियों को भी पुनः उसी कक्षा के लिए नामित करें । हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ के प्रशिक्षार्थियों के लिए योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाए ।

.....2/..

1. प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा	पात्रता
1.	प्रबोध	5 महीने 2 घंटे (एकांतर दिवस) 01 जनवरी,2015 से मई, 2015 तक	मई, 2015	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है । इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो, भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं ।
2.	प्रवीण	5 महीने 2 घंटे (एकांतर दिवस) 01 जनवरी,2015 से मई, 2015 तक	-वही-	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है । इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं ।
3.	प्राज्ञ	1-1 घंटे (एकांतर दिवस) 01 जनवरी,2015 से मई, 2015 तक	-वही-	यह अंतिम पाठ्यक्रम है । इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होंगे । उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी व पश्तो भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारियों को भी प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

विशेष :- वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए कार्मिकों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने के संबंध में ।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/30/2009-रा.भा.-(प्र.) दिनांक 06 जनवरी, 2010 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है ।

अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ की कक्षाओं के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके ।

.....3/..

2. परीक्षा

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं मई, 2015 में आयोजित की जाएंगी ।
- परीक्षा के आवेदन पत्र दिनांक 14.2.2015 तक उप निदेशक(मध्योत्तर) के कार्यालय में विधिवत भर कर पहुँच जाने चाहिए ।

3. परीक्षा शुल्क

- केंद्र सरकार के उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा के लिए रु.100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के द्वारा किया जाना है ।

4. परीक्षा संबंधी नियम

- प्राइवेट रूप से परीक्षा में बैठने वाले प्रशिक्षार्थियों को विधिवत निर्धारित प्रपत्र में परीक्षा फार्म द्विभाषी रूप में भरना है ।
- परीक्षा फार्म, नॉमिनल रोल द्विभाषी रूप में भरकर(दो प्रतियों में)उपनिदेशक(मध्योत्तर) के कार्यालय में 14.2.2015 तक भिजवाना है ।
- परीक्षा फार्म के साथ रू.100/- परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (जो कि उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को देय हो) भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

5. पाठ्यपुस्तकें

- सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं ।

6. वित्तीय प्रोत्साहन

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने, हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है ।
- प्रशिक्षण हेतु कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है ।

.....4/..

- हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है ।

अंक प्राप्त करने पर		55%	60%	70%
1.	प्रबोध	रू.400	रू. 800	रू.1600
2.	प्रवीण	रू.600	रू.1200	रू.1800
3.	प्राज्ञ	रू.800	रू.1600	रू.2400

7. कक्षाओं में उपस्थिति

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12014/1/74-हिंदी/1/ तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12044/1/74-रा.भा.(घ) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों / कर्मचारियों को नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है ।

- कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के आधार पर हर माह आंतरिक मूल्यांकन के अंक केंद्र के प्राध्यापक/प्रभारी द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं ।

8. नई कक्षा खोलना

- यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय परिसर में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का इच्छुक है तो वह सुनिश्चित करे कि जो भी कक्षा(प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ) चलानी है उसके लिए कम से कम 10 से 15 प्रशिक्षार्थियों की संख्या उपलब्ध हो । इसके लिए उचित प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 15.12.2014 तक भेजने का कष्ट करें ताकि समय पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके ।

9. विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मियों को नामित करने का कष्ट करें ।

- यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा परीक्षाओं के फार्म भरने के साथ-साथ परीक्षा में अवश्य बैठें ।

.....5/..

- सभी मंत्रालयों आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का यह पत्र अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से परिचालित करवाना सुनिश्चित करें ।

- सुलभ संदर्भ के लिए अंशकालिक केंद्रों एवं नियमित प्रशिक्षण केंद्रों की सूची इसके साथ संलग्न है ।

- कक्षाओं के गठन के संबंध में जारी किए गए निदेश राजधानी क्षेत्र और उसके आस-पास के शहरों यथा फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र इत्यादि पर भी लागू होंगे ।

- केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/अर्ध सरकारी बलों/उपक्रमों/बैंकों/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों से यह भी अनुरोध है कि वे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंदी प्रशिक्षण के लिए (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ) अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के विभिन्न पाठ्यक्रमों में समयबद्ध कार्यक्रम बनवाकर अधिक से अधिक प्रशिक्षार्थियों को नामित करने का कष्ट करें । इसके अतिरिक्त जहां तक संभव हो नामित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण की अवधि में स्थानांतरित न किया जाए और न ही उनके नाम वापिस लिए जाएं ।

- सभी कार्यालयों/विभागों के विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि सत्र जनवरी-मई, 2015 के लिए अपने कार्यालयों से उपर्युक्त भाषा प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करने का कष्ट करें जिससे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2015 तक प्राप्त किया जा सके । राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सहयोग सराहनीय होगा ।

संपर्क के पते

1.	2.	3.
		हिंदी प्राध्यापकों के दूरभाष नं.
उपनिदेशक(मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना पूर्वी खंड-7, लेवल-6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26175246 26191572	श्रीमती नीना पुंज सहायक निदेशक 9899626516 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह सहायक निदेशक 09560213089	1. श्रीमती समीर त्रिखा 9911187268 2. सुश्री कृष्णा देवी 9871608537 3. श्री राजकुमार 9582854331 4. श्रीमती नीपा शर्मा 9899989821 5. श्री आशाराम 9136237393 6. श्री राजकुमार बाल्मिकी 9971953257 7. श्रीमती प्रीति सिंह(चंडीगढ़) 09417166338 8. श्री रामेश्वर लाल मीणा (जम्मू) 09018451848

सभी विभागाध्यक्षों/संपर्क अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित तथा दूरभाष *एवं* फैक्स नंबर भी भिजवाएं । यदि ई मेल का पता भी दे सकें तो बहुत सुविधा होगी ।

भवदीया,

सुमनलाल
15.10.2014

(सुमन लाल)
उप निदेशक(मध्योत्तर)

उपनिदेशक(मध्योत्तर) के अंतर्गत संचालित हिंदी प्रशिक्षण के सम्भावित केंद्रों के पते

(सत्र जनवरी-मई, 2015)

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्र	दूरभाष
1.	द्वितीय तल, एफ विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली	
2.	सीमा सड़क भवन, नारायणा, रिंग रोड, नई दिल्ली	011-25687114
3.	केंद्रीय जल आयोग, पश्चिमी खंड-1, प्रथम तल, विंग-4, आर के पुरम, नई दिल्ली-66	
4.	संघ लोक सेवा आयोग, जामनगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली	011-23098591/4558
5.	वायु सेना अभिलेख कार्यालय, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली	011-25697551/7529
6.	तिहाड़ जेल परिसर, तिहाड़ जेल, लाजवन्ती गार्डन,नई दिल्ली	011-25615203
7.	डी.एम.एस., शादीपुर डिपो, नई दिल्ली	011-25860820/228
8.	सशस्त्र सीमा बल, 25वीं बटालियन, घिटोरनी, नई दिल्ली	
9.	सी आर पी एफ, झड़ौंदा कलां	
10.	सी आई एस एफ, मैट्रो स्टेशन, शास्त्री पार्क, नई दिल्ली	
11.	इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली	
12.	ए सी आई आर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	
13.	सीमा सुरक्षा बल, 025वीं वाहिनी, छावला, दिल्ली-71	
14.	सीमा सुरक्षा बल, 150वीं वाहिनी, भौंडसी, गुड़गांव	
15.	हिंदी शिक्षण योजना का कार्यालय, 33 कर्ण नगर, जम्मू	
16.	राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, महालेखाकार का कार्यालय, सेक्टर-17, चण्डीगढ़	
17.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 12 विंग, वायुसेना हवाई अड्डा, चण्डीगढ़	
18.	आई टी बी पी, भानु	

नमूना

नामित किए जाने वाले प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रोफार्मा

क्र.सं.	नामित अधिकारी कर्मचारी का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय का पता व फोन नंबर	कर्मचारी की कुल संख्या

दिनांक :

स्थान :

संपर्क अधिकारी (हिंदी)/प्रशासनिक अधिकारी
की मोहर के साथ हस्ताक्षर एवं फोन नंबर

पृष्ठांकन स. 3/8/2014-उ.नि.(मध्योत्तर) 6550 दिनांक 25.11.15

प्रतिलिपि :-

1. सचिव(बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. संयुक्त सचिव(राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
3. निदेशक(सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली ।
4 निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली ।
5 तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-II, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ राजभाषा वेबसाइट प्रयोग हेतु ।
6. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
7. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली ।
8. उप निदेशक(कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
9. सभी सहायक निदेशक(मध्योत्तर), हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
10. हिंदी प्राध्यापक(मध्योत्तर) ।
11. सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी, जम्मू, चण्डीगढ़ (हिंदी प्राध्यापक)

(सुमन लाल)
उप निदेशक(मध्योत्तर)